भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-209

उत्तर देने की तारीख-20/07/2026

छात्रों के कम नामांकन के कारण प्राथमिक विद्यालयों का बंद होना

209. श्री वीरेन्द्र सिंहः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का यह विचार है कि "छात्रों के कम नामांकन" के आधार पर कुछ प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का निर्णय देश के दूरस्थ, गरीब, जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विद्यालयों के बंद होने के बाद कई गांवों में बालिकाओं की साक्षरता दर और विद्यालय में उपस्थिति में गिरावट दर्ज की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जिन क्षेत्रों में विद्यालय बंद कर दिए गए हैं, वहां कोई सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि शिक्षा के अभाव से समाज के कौन-कौन से वर्ग सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं; और

(घ) क्या सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किए जाने की संभावना है कि किसी विद्यालय को बंद करने से पहले उस क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक, जातिगत और आर्थिक स्थितियों का उचित अध्ययन करने के बाद ही निर्णय लिया जाए और यदि हां, तो ऐसी प्रक्रिया का विवरण क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ) शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और स्कूलों का खोलना, विलय/बंद करना संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के क्षेत्र में आता है, जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत उपयुक्त सरकार हैं।

यूडाईज+ के अनुसार, वर्ष 2024-25 और 2025-26 में लड़कियों (पूर्व-प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक) का नामांकन क्रमशः 11,93,34,162 और 11,96,30,456 है, जो दर्शाता है कि इस अवधि के दौरान छात्राओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर बल देती है कि यद्यपि स्कूलों का समेकन एक ऐसा विकल्प है जिस पर अक्सर चर्चा की जाती है, लेकिन इसे बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए और केवल तभी, जब यह सुनिश्चित किया जाए कि इससे शिक्षा तक पहुंच पर कोई प्रभाव न पड़े (पैरा 7.4)। स्कूल परिसर/क्लस्टर का उद्देश्य क्लस्टर में स्कूलों की अधिक संसाधन दक्षता और अधिक प्रभावी कार्यप्रणाली, समन्वय, नेतृत्व, शासन और प्रबंधन सुनिश्चित करना है।
